अपील सं0 40/2014 धारा–75 एल.आर. एक्ट अनवान

रमेश कुमार दत्तक पुत्र श्री चतरुराम जाट नि0 चक 1सीएचडी तहसील छत्तरगढ जिला बीकानेर

बनाम

1–स्टेट, जरिये तहसीलदार छत्तरगढ 2– अंकुश कुमार पुत्र राकेश कमार जाट निवासी छत्तरगढ नाबालिग जरिये वली राकेश कुमार पुत्र जगदीश कुमार जाट निवासी छत्तरगढ जिला बीकानेर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.4.2018	आज यह पत्रावली प्रार्थी अपीलान्ट रमेश कुमार दत्तक पुत्र श्री चतरुराम जाट नि0 चक 1सीएचडी तहसील छत्तरगढ जिला बीकानेर जरिये श्री दुलीचन्द देवड़ा अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गयी । प्रार्थी रमेश कुमार की ओर से अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है इस कारण प्रार्थी अपीलान्ट उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः अपील अपीलान्ट जरिये विड्रा खारिज फरमाई जावे । हमने प्रार्थी अपीलान्ट रमेश कुमार जरिये श्री दुलीचन्द देवड़ा अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण अनुसार तहसीलदार (राजस्व.) छत्तरगढ द्वारा वसीयति रिमाण्ड प्रकरण सं0/2014 अनवान रमेश कुमार बनाम अंकुश कुमार में पारित निर्णय दिनांक 1.8.2014 के विरुध्द अपीलान्ट रमेश कुमार द्वारा यह अपील सं0 40/2014 अनवान रमेश कुमार बनाम स्टेट, अंकुश कमार प्रस्तुत होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है । प्रार्थी अपीलान्ट उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है । अतः यह अपील अपीलान्ट जरिये विड्रावल (Withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो तथा पत्रावली निर्णीत शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । संभागीय आयुक्त बीकानेर	25-4-18